(डी.) छत्तीसगढ़ यवासवनी नियम, 1970 :–
(C.G.Brewery Rules, 1970)
[धारा 62(2),(ए),(डी),(ई),(जी),(एच)और(जे)]

1. **संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारम्भ** :– यह नियम, छत्तीसगढ मे बीयर विनिर्माण, संग्रहण, आयात, निर्यात, आदिं के लिए दिनांक 18 दिसंबर 1970 को राजपत्र के भाग 4(ग) मे प्रकाशित किये गए है ।
2. **परिभाषाएं** :– इस नियम के अंर्तगत यवासवनी (ब्रेवरी) से संबधित 16 शब्दो की परिभाषा दी गई है जैसे – '' यवासवनी ''– से ताप्पर्य ऐसी इमारत से है, जहॅाबीयर बनाई जाती हो, और उसमे ऐसा प्रत्येक स्थान शामिल है जहॉ बीयर संग्रहीत की जाती हो तथा जहॉ से बीयर बाहर भेजी जाती हो । इत्यादि

(क) बीयर भटिटयो की स्थापना

3 **लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र** :– कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ राज्य मे यवासवनी स्थापित करना या चलाना चाहता हो, उसके लिए लाइसेस प्राप्त करने लिये कलेक्टर के जरिये आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ को **फार्म ख–1** मे करेगा ।

4 **लाइसेंस मंजूर करने से पहिले परिसर का निरीक्षण** :– बीयर बनाने के लिए लाइसेंस मंजूर करने से पहले आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई आबकारी पदाधिकारी परिसर आदि का निरीक्षण करेगा और नक्शे तथा उपयुक्त प्रविष्टि मे मिलान करेगा और उसे तदनुसार प्रमाणित करेगा ।

5 **लाइसेंस मंजूर करने के लिए शर्ते** :– लाइसेंस नियमानुसार शर्तो के अधीन रहते हुए दिया जायेगा ।

6 **लाइसेंस नामंजूर या मंजूर करने की शक्ति** :– आबकारी आयुक्त को राज्य मे वास्तविक आवश्यकताओ की दृष्टि मे रखते हुए लाइसेंस के लिये या लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किये गये किसी भी आवेदन पत्र को मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति होगी ।

7 **यवासवनी चलाने के लिये लाइसेंस का फार्म और लाइसेंस फीस** :– आबकारी आयुक्त यवासवनी चलाने के लिये **फार्म ख–1 अ** मे लाइसेंस मंजूर होगा उसके लिए प्रत्येक आबकारी वर्ष या उसके किसी भाग के लिये फीस 50,000/– रूपये होगी

8 **जमानत की जमा रकम की जब्ती और उसमे से कटौती** :– तत्समय प्रवृत्त आबकारी विधियो का उल्लंधन करने की सिथित मे यदि वह उल्लंघन आबकारी विभाग के किसी पदाधिकारी के समक्ष, जिला आबकारी पदाधिकारी के पद से कम पद का न हो, सिद्ध कर दिया जाये तो जमानत की जमा रकम संपूर्ण राशि या उसका कोई भाग यवासवनी लायसेंस सहित जब्त कर लिया जाएगा ।

9 **लाइसेंस का नवीकरण** :– आगामी आबकारी वर्ष के लिये लायसेंस के नवीनीकरण हेतु **फार्म ख–2** मे आवेदन पत्र प्रतिवर्ष 28 फरवरी को या उससे पहले कलेक्टर के जरिये आबकारी आयुक्त की प्रस्तुत किया जाएगा।

10 **अनवीकृत लाइसेंस को टाला जायेगा** :– अनवीकृत लाइसेंस वैध लाइसेंस नही होगे और लाइसेंस के समाप्त होने के बाद यवासवनी मे बनाई बीयर जब्त और राजसात की जा सकेगी और यवासवनी के कार्यकारी पक्ष अवैध रुप से बीयर बनाने के लिए विधि द्वारा उपबंधित शास्तियॅा के दायित्वहीन होगे।

11 **लाइसेंस के समाप्त होने के पश्चात् बीयर आदि हटाना** :– यदि उसके लाइसेंस या नवीकृत लाइसेस की अवधि के समाप्त हो जाने पर (जब तक उसे नया लाइसेंस मंजूर न किया गया

हो) यादि उसका लाइसेंस रदद या निंलबित कर दिया जाएगा तो यवासवक की यवासवनी मे रखी पूरी बीयर पर तत्समय लागू नियमो के अनुसार शुल्क का तत्काल भुगतान करना होगा, और यवासवनी मे बची हुई संपूर्ण बीयर हटा लेनी होगी ।

12 **यवावसक द्वारा प्रभारी पदाधिकारी के लिये कार्यालय की स्थापना की जायेगी :–** यवासवक, प्रभारी पदाधिकारी के लिये यवासवनी के अहाते मे कार्यालय फर्नीचर सहित कार्यालय की व्यवस्था करेगा ।

13 **यवावसक द्वारा आबकारी पर्यवेक्षण कर्मचारियो के लिये आवासगृहो की व्यवस्था की जायेगी :–** यवासवक आबकारी आयुक्त के समाधान पर्यन्त यवासवनी मे नियुक्त शासकीय आबकारी कर्मचारियो के लिए भी आवासगृहो की व्यवस्था करेगा । कर्मचारियो से वसूल किया जाने वाला किराया और किराये की शर्त वही होगी जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाय ।

14 **शासन यवासवनी मे बीयर की हानि आदि के लिए दायी नही होगा :–** शासन यवासवनी मे संग्रहीत बीयर के आग से नष्ट होने या चोरी होने से हानि या नुकसान पहुॅचने या मापने की किसी भी अन्य कारण से हुई हानि के लिये दावा नही होगा। आग लगने या दुर्धटना के मामले मे यवासवनी का प्रभारी पदाधिकारी दिन या रात को किसी भी समय परिसरो को खोलने के लिये तुरन्त उपस्थित होगा ।

15 **यवावसक के एजेन्टो और अन्य सेवको की नियुक्ति :–** आसवनियो मे आसवक के ऐजेन्टो और अन्य सेवको की नियुक्ति को शासित करने वाले नियम, आवश्यक परिवर्तनो सहित यवासवनियो के एजेन्टो और अन्य सेवको की नियुक्ति के सम्बंध मे भी लागू होगे।

(ख) यवासवनियो की सामान्य व्यवस्था और प्रबन्ध

16 **प्रत्येक कमरे, स्थान और पात्र पर पहिचान चिन्ह अंकित किये जावेगे :–** प्रत्येक कमरे के दरवाजे के बाहर की ओर तथा उस स्थान पर, जहॉ कारोबार चलाया जाता है, और प्रत्येक पात्र के सहजगोचर भाग पर जिस प्रयोजन के लिये उसका उपयोग किया जाना उपेक्षित हो, उसके अनुसार पात्र, बर्तन,कमरे, या स्थान का नाम तैल रंग से सुवाच्य अक्षरो मे अंकित किया जावेगा ।

17 **पात्रो को लगाकर रखने की रीति :–** मैशटनो, संग्रहण पात्रो (अंडर बैंक) अनाज घोल पात्रो, ताम्रपात्रो और संग्रह करने तथा खमीर उठाने के पात्रो को इस प्रकार रखा तथा जमाया जायेगा कि प्रत्येक पात्र मे रखे पदार्थो को ठीक से मापा या नापा जा सके।

18 **सभी मैशटनो तथा अन्य पात्रो की मापा जायगा :–** सभी मैशटनो, और खमीर पात्रो को प्रभारी पदाधिकारी और लाइसेंसदार द्वारा साथ साथ मापा जायेगा। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा **फार्म ख–3** मे सारणी तैयार की जावेगी जिसमे प्रत्येक पात्र की कुल धारिता बल्क लीटर मे और गहराई एक पंचमॉश सेन्टीमीटर मे दर्शाई जायेगी।

19 **मैशटन आदि इस प्रकार रखे जायेगे कि माप किया जा सके तथा किये गये परिवर्तनो की सूचना प्रभारी पदाधिकारी को दी जायेगी :–** सभी मैशटनो, संग्रहण पात्रो (अंडर बैंक) कूलरो, खमीर पात्रो और निलय पात्रो को इस प्रकार रखा जाएगा तथा जमाया जायगा कि उनके अन्दर की अर्न्तवस्तुओ को ठीक से माप कर या नाप कर सुनिश्चित किया जा सके और प्रभारी पदाधिकारी को लिखित मे दो दिन की सूचना दिये बिना उनके आकार, स्थिति या धारिता मे कोई परिर्वतन नही किया जाएगा ।

20 **मैशटनो आदि की स्थापना मे परिवर्तन करने के बाद उनकी पुनः माप करना आवश्यक है :–** ऐसे किसी पात्र का जिसके आकार, स्थिति या धारिता मे परिर्वतन किया गया हो, तब तक फिर से उपयोग नही किया जायेगा जब तक प्रभारी अधिकारी द्वारा उसकी पुन' माप न की जाय और यदि आवश्यक हो तो उसके द्वारा नई सारणियॉ तैयार की जावेगी।

21 **यवावसक, बॉट, तराजू, और अन्य उपकरणो की व्यवस्था करेगाः—** यवासवक को अच्छे तराजूओ और सही भार के बॉटो और अन्य आवश्यक और समुचित उपकरणो की पर्याप्त मात्रा मे व्यवस्था करनी चहिये ।

22 **आबकारी आयुक्त यवासवनी (बूअरी) का भारसाधक आधिकारी नियुक्त करेगा :—** आबकारी आयुक्त द्वारा प्रत्येक यवासवनी (बूअर) एक आबकारी निरीक्षक के भारसाधन मे रखी जाएगी जो यवासवनी के भारसाधक अधिकारी के रूप मे पदाभिहित किया जा सकेगा ।

23 **नियंत्रण :—** प्रभारी पदाधिकारी जब तक उसे अन्यथा निर्देशित न किया जाए जिला आबकारी पदाधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा और जिसके क्षेत्रीय प्रभार मे यवासवनी स्थित हो, उस जिला आबकारी अधिकारी से पत्र व्यवहार करेगा । यवासवनी की कार्यप्रणाली से सम्बंधित सभी सामान्य मामलो मे यवासवक प्रथमतः प्रभारी पदाधिकारीयो को आवेदन करना चाहिये जो यादि आवश्यक हो तो आदेश प्राप्त करेंगे।

24 **यवासवनी के परिसर मे व्यक्तियो के प्रवेश और व्यवहार पर प्रभारी पदाधिकारी का नियंत्रण :—** आसवनी परिसर मे व्यक्तियो के प्रवेश और व्यवहार को शासित करने वाले नियम, आवश्यक परिवर्तनो सहित यवासवनी के परिसर मे व्यक्तियो के प्रवेश और वहॉ उनके व्यवहार के सम्बन्ध मे भी लागू होगे।

25 **समस्त आबकारी पदाधिकारीयो की उपस्थिति के घंटे और छुटिटयॉ :—** आसवनियो मे नियुक्त आबकारी पदधिकारियो की उपस्थिति के घंटे, उनको मंजूर की जाने वाली छुटिटयॉ और इनके द्वारा किये गये अधिक समय (ओव्हर टाइम) कार्य को शासित करने वाले नियम यवासवनियो मे नियुक्त आबकारी कर्मचारियो पर भी लागू होगे ।

26 **यवासवनी नियुक्त प्रभारी पदाधिकारी के विशेष कर्तव्य :—** प्रभारी पदाधिकारियो का यह विशेष कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि —

1 यवासवक का निहित **फार्म ख—1 अ** मे लाइसेंस समय पर नवीकृत किया जाता है।

2 यवासवक का निहित **फार्म ख—2** मे अपने परिसर और पात्रो की प्रविष्टि करता है ।

3 यवासवनी के पात्र और कमरे उचित रूप से क्रमॉकिंत और चिन्हॉकिंत है।

4 यवासवनीयो के प्रबंध के लिये निहित नियमो का सर्वथा पालन किया जाता है ।

27 **प्रदाय किये जाने वाले उपकरण** :— प्रभारी पदाधिकारी शर्करा मापक **(मैकरो मीटर)** और थर्मामीटर जैसे आवश्यक उपकरणो का मॉग पत्र जिला आबकारी पदाधिकारी के जरिये आबकारी आयुक्त को भेजेगा और **फार्म ख—5** मे उनका लेखा रखेगा ।वह उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा ।

28 **यवासवनी पदाधिकारियो द्वारा निरीक्षण के लिये खुली रहेगी** :— यवासवक किसी भी समय कलेक्टर, जिला आबकारी पदाधिकारीयो या आबकारी विभाग के किसी अन्य पदाधिकारी को, जो पद मे आबकारी निरीक्षक से कम पद का न हो तथा जिसके अधिकार क्षेत्र मे यवासवनी स्थित हो का निरीक्षण और जांच करने देगा और ऐसे निरीक्षण और जांच मे सहायता करेगा ।

29 **यवासवन की पूर्ण सूचना :—** आबकारी आयुक्त किसी भी यवासवक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रभारी पदाधिकारी को यवासवन के 48 घंटे पूर्व यवासवन करने के अभिप्राय की लिखित सूचना भेजे।

30 **विषैले पदार्थो का प्रयोग निषिद्ध है :—** आबकारी आयुक्त बीयर के निर्माण मे किसी भी ऐसे पदार्थ का प्रयोग किये जाने का निषेध कर सकेगा जो उसके मतानुसार विषैले प्रकार का हो।

31 **नमूनो का विश्लेषण** :— प्रभारी पदाधिकारी या कोई भी निरीक्षण पदाधिकारी विश्लेषण करने के प्रयोजन से मूल्य चुकाये बिना किसी बीयर या उसके निर्माण मे उपयोग मे लाई गई सामग्री का नमूना ले सकेगा।

32 **नमूना लेना** :— लिये गये सभी नमूने प्रभारी पदाधिकारी द्वारा **फार्म ख—6** के रजिस्टार मे अभिलिखत किये जायेंगे और राज्य शासन द्वारा अनुमोदित रासायनिक परीक्षण को ऐसे पत्र सहित सीधे भेज दिये जाऐंगे जिसमे कौन सी जॉच या विश्लेषण किया जाना है । यह

बतलाया गया होगा । नमूने टेक्नीकल एक्साइज मैनूअल मे दिये गये अनुदेशो के अनुसार तैयार किये जावेगें।

33 **यसासवक की पुस्तक** :— यवासवक **फार्म ख–4** मे एक पुस्तक रखेगा और उसके सम्बन्ध मे और उसमे की जाने वाली प्रविष्टियो के सम्बंध मे नियमानुसार नियमो का पालन करेगा ।

34 **किसी भी यवासवन का उत्पाद किसी अन्य यवासवन के उत्पाद से तब तक नही मिलाया जायगा जब तक कि उसका हिसाब न कर लिया जाय** :— यवासवक किसी भी यवासवन उत्पाद को अन्य यवासवन के उत्पाद से तब तक नही मिलायेगा जब तक कि प्रभारी पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक का हिसाब (भार तथा धनत्व के संबंध मे) न ले लिया जाए।

35 **मिश्रण तैयार करने के समय की अधिसूचना दी जायेगी** :— यवासवन, यवासवन के उत्पाद का किसी अन्य यवासवन उत्पाद के साथ मिश्रण संग्रह कुंड तथा पीपे मे के अतिरिक्त किसी और मे तब तक नही मिलायेगा जब तक कि वह प्रभारी पदाधिकारी को लिखित रूप मे इस बात की पूर्व सूचना न दे दे । जब मिश्रण हो जाय तो यवासवक इस प्रकार तैयार हुए मिश्रण की मात्रा तथा गुरूत्व का स्पष्टतया उल्लेख करेगा ।

36 **अनाज के घोल के निस्तारण के बाद मैशटन मे अनाज के लिये निहित समय** :— मैशटनो मे रखे गये अनाज की पुस्तक मे अनाज के घोल के निस्सारण के समय के रुप मे लिखे गये समय से एक घंटे बाद ज्यो का त्यो तब तक रखे रहने देना चाहिये जब तक की प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित होकर ऐसे अनाज का हिसाब तैयार न कर ले ।

37 **अनाज के घोल का निस्सारण उत्पादन क्रम किया जायगा** :— अनाज का घोल एक के बाद एक पात्रो मे तथा यवासवन के प्रथागत क्रम से अंडर बैंक तांबे के पात्र कूलर तथा किण्वन पात्रो डाला जाएगा और अंतिम पात्र से उसे तब तक नही हटाया जाएगा जब तक की प्रभारी अधिकारी द्वारा उसका हिसाब न तैयार कर लिया जावे या जब तक की इन पात्रो मे अनाज के घोल के डाले जाने के समय से चौबीस घंटे न बीत जावे ।

38 **यवासवन उत्पाद के संग्रहण के लिये नियत समय** :— जब अनाज के घोल को किण्वन पात्र मे बहाना आरम्भ कर दिया जाए, तो आसवक द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण उत्पाद **अठारह घंटे** के भीतर संग्रहीत कर लिया जायेगा ।

39 **अवशिष्ट मे स्पिरिट निकालने का निषेध** :— यवासवनी के परिसर मे बीयर को छोडकर काई अन्य शराब नही बनाई जायेगी । यवासवनी के अनाज या अवशिष्ट माल से स्पिरिट निकालने का कोई प्रयास नही किया जायेगा ।

40 **बीयर मे शुध्दकारी पदार्थो को छोडकर अन्य पदार्थ मिलाने का निषेध** :— यवासवक बीयर मे शुध्दकारी पदार्थो या आबकारी आयुक्त द्वारा मंजुर किये गये पदार्थो को छोडकर कोई भी पदार्थ न तो घोलेगा, न अपमिश्रित करेगा और न मिलायेगा ।

41 **जब तक शुल्क न चुका दिया जाय या बंधपत्र का निष्पादन न किया जाय तब तक बीयर की निकासी नही की जावेगी लाने ले जाने मे हानि** :— 1 छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 25 के अधीन शुल्क चुका न दिया जावे या यवासवक द्वारा अधिनियम की धारा 9 के अधीन फार्म ख–7 या ख–8 मे बंध पत्र निष्पादित न कर दिया जाये ।तब तक यवासवक राज्य के बाहर बीयर का निर्यात करने के लिये निकासी नही करेगा । यवासवक राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली बीयर की मात्रा पर शासन द्वारा निर्धारित दर से निर्यात शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी होगा ।

2 यदि बीयर की हानि की मात्रा विहित मात्रा से अधिक हो तो यवासवक ऐसी हानि मात्रा के लिये लागू शुल्क का भुगतान करेगा ।

42 **शुल्क वसुल करने के ढंग** :— शुल्क दो प्रकार से वसूल किया जावेगा 1 स्थानीय उपखजाने मे नगद भुगतान द्वारा 2 इस प्रयोजन के लिये रखे गये किसी भी अग्रिम खाते मे से पुस्तक आकलन द्वारा ।

43 **नगद रुप मे शुल्क देने का ढंग :–** यदि यवासवक नगद रूप से शुल्क का भुगतान करना चाहे फार्म ख–8 मे तीन प्रति वाला आवेदन खजाने मे प्रस्तुत करेगा ।

44 **यवासवक की अग्रिम जमा रकम से शुल्क का भुगतान :–** यवासवक को यह अनुमति होगी यवासवनी से निकाली जाने वाली बीयर पर शुल्क का अग्रिम रूप से भुगतान कर दे। कोई भी मूल अग्रिम जमा रकम 2000/– रूपये से कम नही होगी।

45 **अग्रिम जमा रकम पर बीयर हटाने के लिये आवेदन पत्र का फार्म :–** जिस बियर पर लगाया जाने वाला शुल्क अग्रिम जमा रकम मे से विकसित किया जाना हो, उसे हटाने के लिए आवेदन पत्र फार्म ख–10 मे होगा ।

46 **पार के बिना यवासवनी से बीयर ले जाने की अनुमति नही होगी :–**

47 **यवासवनी से बीयर की निकासी ढंग :–** यवासवनी मे निकासी निम्नानुसार की जायेगी (1) शुल्क का पूर्व भूगतान कर देने पर यवासवको के थोक बिक्री परिसरो पर परिवहन के लिये **(2)** भारत मे अन्य राज्यो को बन्धपत्र के अर्न्तगत निर्यात के लिये ।

48 **बन्धपत्र के अंतर्गत निर्यात के लिये अपेक्षित पास :–** कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ के किसी यवासवनी मे निर्मित बीयर आसवनी के प्रभारी पदाधिकारी, जो इस सम्बंध मे प्राधिकृत हो द्वारा फार्म ख–12 मे दिये गये पास के अर्न्तगत तथा बन्धपत्र के अधीन विदेशी सिपिरिट के निर्यात कर सकेगा । निष्पादित किये जाने वाला सामान्य बन्धपत्र फार्म ख–7 मे तथा विशेष बन्धपत्र फार्म ख–8 होगा

49 **दुर्घटना से विनाशः–**जब बीयर जिस पर शुल्क लगाया हो या चुका दिया गया हो, आकस्मिक रूप से आग लग जाने या अन्य अपरिहार्य कारणो से तब नष्ट हो जाये जब कि वह जब कि वह यवासवनी के निर्दिष्ट परिसर मे ही रखी हो शासन समाधान पर्यन्त हानि होना सिद्ध कर दिये जाने पर शुल्क की छुट देगा ।

50 **शुल्क की वापसी :–** जब बीयर, जिस शुल्क लगया गया हो उपभोग से लिये उपयुक्त न रहे तो आबकारी आयुक्त, यवासवक से कलेक्टर, के जरिये औपचारिक पत्र की प्राप्ति पर शुल्क की वापसी का आदेश दे सकेगा, बशर्ते ऐसा दावा 6 माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जावे ।

51 जिस बीयर पर शुल्क की वापसी के लिये दावा किया गया हो उसकी जॉच की जा सकेगी

52 **त्रैमासिक लेखा :–** आबकारी शुल्क वर्ष की प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के बाद के प्रथम माह की 7 तारीख को प्रत्येक यवासवक द्वारा जिले के जिला आबकारी पदाधिकारी को फार्म ख–15 मे एक लेखा भेजा जाएगा ।

53 **भंडार की त्रैमासिक जॉच :–** जिला आबकारी पदाधिकारी द्वारा यवासवनी के लेखाओ की और यवासवनी मे रखी हुई कुल बीयर की तीन माह मे एक बार जॉच की जाएगी । यदि ऐसी जॉच मे यवासवनी के भण्डारण से पाई गई बीयर की मात्रा यवासवनी के भण्डार लेखे मे दर्शाई गई मात्रा से अधिक पायी जाए तो यवासवक किसी अधिक बीयर पर, सामान्य निकासी विहित दर से दुगुनी दर पर शुल्क का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा।

(छ)–पर्यवेक्षण

54 **जिला आबकारी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण :–** जिले आबकारी पदाधिकारी दो माह मे कम से कम एक बार यवासवनी का निरीक्षण करेगा ।

55 **व्यापारिक गोपनीयता :–** प्रभारी पदाधिकारी को कडी मनाही होगी कि वह यवासवक के कार्यो के स्वरूप या विस्तार के संबंध मे जानकारी किसी भी व्यक्ति को न बताये।

56 **मैशटन का मापन :–** मैशटनो को शुष्क मापन पद्धति से मापा जाना चाहिए और उन्हे नकली पेंदे (फाल्स बोटम) के उपर से नापा जाएगा ।

57 **यवासवनी मे समय समय पर किये जाने वाले मापन और गुरुत्व केवल जॉच के लिये होगे :–** बीयर बनाने के दौरान किये गये सभी माप और गुरुत्व केवल जॉच के लिये होंगे और वे उत्पाद शुल्क प्रभारित करने या उत्पादन का हिसाब लगाने के लिये आधार नही माने जाने चाहिये।

58 **प्रभारी पदाधिकारी लाइसेंसदार के लिये नोंद से सराई (डिप्स) और गुरुत्व सुनिशिचित नही करेगा :–** प्रभारी पदाधिकारी इकटठे किये गये अनाज के धोल (बर्ट) की मात्रा या गुरूत्व की लाइसेन्सदार के लिये सुनिशिचित नही करेगा।

59 **प्रभारी पदाधिकारी और यवासवक द्वारा संचालक किये जाने वाले रजिस्टार :–** प्रभारी पदाधिकारी द्वारा अनाज के घोलो (बर्ट) के नमूने फार्म ख–6 मे, माप सारणी **फार्म ख–3** मे, बीयर निकासी फार्म ख–11 मे, बीयर का निर्माण और निकासी **फार्म ख–16 मे,** यवासवनी को वापस की गई बीयर फार्म ख–17 मे, तथा यवासवक द्वारा फार्म ख–2 मे, राजिस्टर मे परिसर तथा पात्रो से संबधित ब्यौरे वार प्रविष्टि दर्शायी जाएगी। फार्म ख–4 यवासवन पुस्तक ।

60 **यवासवनी के वार्षिक विवरण प्रस्तुत तैयार करना :–** प्रत्येक यवासवक आबकारी वर्ष के संबंध मे अपनी यवासवनी से संबधित विवरण फार्म ख–18 मे दो प्रतियो प्रभारी पदाधिकारी के जरिये कलेक्टर को 5 अप्रैल तक प्रस्तुत करेगा ।

61 यवासवक प्रभारी पदाधिकारी को ऐसा कोई मामला, जिसमे उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के बारे यह पाया गया हो कि उसने आबकारी विधियो का या उसके नियोजन का विनियमन करने वाले सेवा शर्तो का उल्लंघन किया है, सूचित करने के लिये बाध्य होगा।

62 इन नियमो के परे यदि कोई ऐसी बात हो, जिसका समावेश इन नियमो मे नही है, तो वहॉ विदेशी मदिरा नियम एंव सामान्य लायसेंस की शर्ते लागू होगी।